

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 71/2023  
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2023/162

प्रार्थी	बनाम.	अप्रार्थीगण
मोटाराम पुत्र स्व. श्री रतनाराम, जाति पटेल निवासी गाजनगढ़, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. देवा उर्फ देवाराम पुत्र किशना जाति पटेल निवासी गाजनगढ़ तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, जिला पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी  
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण चौहान

-: निर्णय :-

दिनांक :- 16.12.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार पाली के आवंटन आदेश 22.08.1968 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम खारड़ा के खसरा संख्या 434 के 14 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर आवंटन आदेश तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण चौहान वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि जैर आराजी बिना प्रक्रिया अपनाये आवंटन की गई है। अप्रार्थी की ओर से आवंटन बाबत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की ओर से पेश आवेदन पत्र में अप्रार्थी की सकूनत खारड़ा दर्ज है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 खारड़ा की ढाणी का निवासी है साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अपने एवं अपने संयुक्त परिवार के सदस्य के नाम पहले से कृषि भूमि नहीं होना लिखा है जबकि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के वक्त आवंटन नोशनल शेयर में 23 बीघा भूमि थी इसके बावजूद अप्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए भूमिहीन बताकर जैर आवंटन करवाया जो विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 06.08.1965 को ग्राम खारड़ा के खसरा संख्या 539/1 रकबा 10 बीघा भूमि का भी आवंटन करवाया था। इससे उक्त आवंटन दिनांक 22.08.1968 को आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 02 में अपने स्वयं के नाम आवंटित भूमि 539/1 रकबा 10 बीघा एवं अपने पिता की खातेदारी भूमि का नोशनल शेयर अंकित



जिला कलेक्टर, पाली

नहीं किया व स्वयं को भूमिहीन बताते हुए जैर आवंटन करवाया जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त आवेदन अपनी उम्र कितनी थी यह विवरण नहीं दिया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ने उपखण्ड अधिकारी रोहट के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र धारा 111 एवं 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का दिनांक 13.07.2020 को प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी ने अपनी उम्र 58 वर्ष अंकित की अर्थात् अप्रार्थी का जन्म सन् 1962 में हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि वक्त आवंटन अप्रार्थी की उम्र मात्र 06 वर्ष रही होगी। अतः वक्त जैर आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 नाबालिग था जिससे वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 काशत करने योग्य व्यक्ति नहीं था, न ही काशत करता था व न ही आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर लगा अंगुष्ठ निशान भी स्वतः फर्जी है। अतः वक्त जैर आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 नाबालिग होने से विवादित आवंटन काबिले खारिज है। नियमों के अनुसार आवंटन उसी व्यक्ति को किये जाने का प्रावधान था जो भूमिहीन हो तथा आवेदनकर्ता व उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं हो व आवेदनकर्ता काशत करने के काबिल व्यक्ति हो यानि बालिग व्यक्ति हो। आवेदन व प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक भूमिहीन व्यक्ति नहीं था, न ही बालिग था, न काशत करने योग्य व्यक्ति था व साथ में अप्रार्थी नाबालिग होने से संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था। इस कारण से जो आवंटन किया गया है, विधि विरुद्ध है तथा आवंटन निरस्त योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर जैर आवंटन खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन व प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम तो प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है व प्रार्थी पीड़ित पक्ष नहीं होने से प्रार्थी जैर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जैर आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में सन् 1968 में किया गया जो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के प्रभाव में आने से पूर्व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1955 की धारा 101 की अधीन किया गया है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 को हुए आवंटन के पात्रता की जांच 1970 के नियमों के तहत नहीं की जा सकती न ही उसके आधार पर आवंटन खारिज किया जा सकता। अप्रार्थी वक्त आवंटन से जैर आराजी पर कब्जा काशत कर रहा है जिससे आवंटन की सभी शर्तों की पालना अप्रार्थी द्वारा किये जाने पर अप्रार्थी को सन् 1985 में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 जैर आराजी पर आवंटन के पूर्व से लगातार काबिज है तथा आज दिन तक कृषि कार्य कर रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना-पत्र बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत किया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज फरमावे। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 06.08.1965 को ग्राम खारडा के खसरा संख्या 539/1 रकबा 10 बीघा भूमि का विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन करवाई थी तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के जीवनयापन व कृषि करने की दृष्टि से बहुत ही कम कृषि भूमि थी तथा उक्त कृषि भूमि आवंटित होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 01 के पास ही थी परन्तु युक्तियुक्त कृषि भूमि 04 हैक्टेयर से कम होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में ही था तथा जैर आवंटन दिनांक 22.08.1968 के आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 02 में अपने स्वयं के नाम आवंटित भूमि का उल्लेख किया हुआ नहीं है क्योंकि उस समय तक खसरा संख्या 539/1 के आवंटन होने तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से गैर खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होने के कारण उल्लेख नहीं किया गया था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रोहट के न्यायालय में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 का दिनांक 22.02.2011 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी की उम्र 64 वर्ष अंकित की अर्थात् अप्रार्थी का जन्म सन् 1946 को हुआ, जिससे पूर्णतया स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 वक्त आवंटन बालिग था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के आयु



जिला कलेक्टर, पाली

के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं व अनुमानित आयु के आधार पर तैयार करवा कर प्रस्तुत किये हैं, अनुमानित आयु के आधार पर तैयार दस्तावेजों को आधार बनाते हुए आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटी की पात्रता की जांच करने के पश्चात ही तहसीलदार पाली द्वारा जैर आवंटन किया गया था जो आवंटन के प्रावधानों के अनुरूप था तथा समस्त कार्यवाहियां विधिक थी तथा भूमि आवंटन 1957 के नियमों के अनुरूप ही किया गया था। अतः जैर आवंटन विधिपूर्वक होने व प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पेश करने का विधिक अधिकार नहीं होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी के आवंटन निरस्तीकरण के प्रमुख आधार यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 वक्त आवंटन नाबालिग था व विपक्षी आवंटी को वर्ष 1968 को भूमिधारी रहते हुए भी किये गये आवंटन को निरस्त करवाये जाने के प्रमुख रूप से 02 उज्र किये हैं।

1. प्रार्थी का प्रथम उज्र कि आवंटी बवक्त आवंटन आवंटी नाबालिग था।
2. आवंटी बवक्त आवंटन भूमिहीन था।

इन दोनों प्रमुख आधारों पर आवेदक द्वारा विपक्षी आवंटी को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आग्रह व अपने उज्र के समर्थन में RRT 2014 (1) 366 HC para no 11&17, Contract Act section 11&12; RRT 2006 (2) 1138, 2006 (2) 1123 para no 09&10, RRD 2002 HC page no 01 Para no 10&11, RRT 2006 (1) 398 para no 7,8 & 9, RRT 2021 (1) 740 para no 7,8 & 9, RRT 2015 (2) 790 para no 11 & 12, RRT 2014 (1)117 para no 14 न्यायिक नजीरे व विपक्षी के आयु से संबंधित दस्तावेज यथा आधार पहचान-पत्र, राशन कार्ड व परिवार पहचान-पत्र आदि पेश किये।

विपक्षी आवंटी द्वारा इनके विरुद्ध अप्रार्थी के आयु के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पूर्व में किये गये विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वाद की प्रति व प्रार्थी के उज्र के विरुद्ध व अपने कथनों के समर्थन में 2024 (1) DNJ [Rev.] page no 431, 2019 (2) RRT 1065, RBJ (8) 2001 page 447, 1995 (2) RBJ 780, RBJ (23) 2016 page no 418, 2019 RBJ page no 77, RLW 2018 (1) Rev. 552, RLW 2018 (2) page no 793, RLW 2017 (2) Rev. page no 937, RLW 2018 (2) Rev 796, RBJ (23) 2016 page no 102, RLW 2018 (1) Rev. 128, 2016 (2) RRT 769, 2016 (2) RRT 756, RRT 2008 (2) page no 834, 2006-07 Supp. RRT 382 न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है।

हमारे द्वारा समस्त दस्तावेजात एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का परिशीलन किया गया तो यह पाया कि जैर आवंटन वर्ष 1968 में किया गया है जिसे लगभग 55 वर्ष लम्बा अरसा गुजर चुका है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऊपर वर्णित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की न्यायिक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्रदान होने व आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में वर्णित नियमों की पालना किये जाने पर व 55 वर्षों के लम्बे अरसा गुजर जाने के बाद आवंटी का आवंटन अवयस्कता के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अप्रार्थी संख्या द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक नजीर RBJ (8) 2001 page 447 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "In the present case since the allotment was secured by the allottee on 6.6.62 of 12 bighas, during the settlement its area was reduced to 8.4 bighas and acquired khatedari rights and mutation has been sanctioned in favour made as well as his transferee, therefore, it would serve no useful purpose now to cancel this allotment on the minority ground after four decades because this, as per the Apex court ruling, it would be travesty of justice to dispossess the applicants from the



जिला कलक्टर, पाली

land which he is nourishing for a period of four decades and maintaining his livelihood". जहां तक आवेदक द्वारा आयु के संबंध में प्रश्न है उसमें आवेदक द्वारा जो दस्तावेजात यथा आधार पहचान-पत्र, राशन कार्ड व परिवार पहचान-पत्र आदि प्रस्तुत किये हैं उनसे किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण नहीं किया जाकर आयु की निर्धारण के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेज कक्षा-10 की अंकतालिका, जन्म प्रमाण-पत्र होते हैं जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक द्वारा अप्रार्थी की आयु के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ लोगों की उम्र सामान्यतः राजकीय कर्मचारियों द्वारा अनुमानित दर्ज की जाती है जिससे किसी व्यक्ति की सही उम्र का अनुमान लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होगा। विपक्षी आवंटी द्वारा इसके विरुद्ध अपनी माता जिसकी आयु 104 वर्ष का शपथ-पत्र तथा आवेदक स्वयं द्वारा ही उपखण्ड अधिकारी के यहां एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 का दिनांक 22.02.2011 जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 की उम्र 64 वर्ष दर्ज है, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया जिससे प्रकट होता है कि बवक्त आवंटन आवंटी आवेदक स्वयं द्वारा बालिग माना गया था।:

निष्कर्षात्मक रूप से आवंटी का अवयस्क होना प्रमाणित नहीं है, न ही जैर आवंटन के 55 वर्ष के लम्बे अरसे गुजर जाने व आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर जैर आवंटन को तकनीकी आधारों पर खारिज किये जाने की कोई उपादेयता नहीं रहती। इन सभी तथ्यों के आलोक में इस आधार पर प्रस्तुत न्यायिक नजीरे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर आवंटी का अवयस्क होना प्रमाणित नहीं होने से विपक्षी आवंटी के पक्ष में किये गये जैर आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण में जहां तक भूमिहीन होने का प्रश्न है, आवेदक द्वारा जो आवंटी के पिता के जीवनकाल में आवंटन होने तथा उनके नाम दर्ज जमीन जो कि प्रमाणित रूप से पुश्तैनी हो ऐसा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि आवंटी का अपने पिता की भूमि में उसके जीवन काल में हक-अधिकार हो। तदनुसार आवंटी का अपने पिता के नाम दर्ज भूमि जब तक कि उक्त भूमि coparcener/सहदायी/पैतृक प्रमाणित नहीं हो जाये तब तक पिता के नाम दर्ज भूमि को आवंटी की भूमि मानने का कोई विधिक आधार अथवा प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव बवक्त आवंटन आवंटी के हिस्से में उक्त भूमि को माना जाने का कोई आधार नहीं है। समग्र रूप से आवंटन निरस्ती के आवेदक प्रार्थी द्वारा उठाये गये दोनों आधार अवयस्कता एवं भूमिहीन नहीं होना प्रमाणित नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) बाबत् जैर आवंटन निरस्तीकरण खारिज किया जाकर विपक्षी आवंटी को किये गये आवंटन को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)

जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली